रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2016/माघ 14, 1937
No. 46] NEW DELHI WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2016/MAGHA 14, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2016

सं. 60/2015–2020

विषयः 'भंडारण और बिक्री' प्रयोजन और कलपुर्जों के निर्यात हेतु स्कोमेट निर्यात संबंधी अनुमति।

सं. 01/91/162/40/ए एम 12/ई सी (एस)/1469.—विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में पैरा 2.79क और 2.79ख को शामिल करते हैं जो इस प्रकार हैंः–

2. **2.79क. 'भंडारण और बिक्री' हेतु निर्यात संबंधी अनुमति।**

स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र प्रदान किए जाने संबधी आवेदनों का मूल्यांकन/ इन पर विचार 'भंडारण और बिक्री' प्रयोजन हेतु अंतरमंत्रालयी कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) द्वारा किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः

(i) निर्यात की अनुमति केवल प्रधान कम्पनी/भारत में स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी से विदेश में स्थित सहायक कम्पनियों/प्रधान कम्पनी/भांडागार को उनके द्वारा 'भंडारण और बिक्री' प्रयोजन हेतु प्रस्तुत अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र के आधार पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से और अन्य महत्वपूर्ण कारणों से उचित समझे जाने पर दी जाएगी।

(ii) उसी देश में अंतिम प्रयोक्ताओं सहित 'स्टॉक एवं बिक्री' कम्पनी (जिसे मुख्य भारतीय प्रधान/स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों द्वारा मदें मूल रूप से निर्यात की गई हैं) द्वारा इन मदों के आगे किसी और स्थानांतरण के लिए पूर्व कम्पनी आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक लिंक से अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी और इसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण अर्थात् डीजीएफटी को और ऐसे स्थानांतरण के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए इसे सौंपने के प्रयोजन से भारतीय आवेदक/लाइसेंस धारक के पास अग्रेषित करेगी। तथापि, अन्तरमंत्रालयी कार्य समूह जोखिम के आकलन के आधार पर उन्हें उसी देश में बिक्री/स्थानांतरण के लिए पूर्वानुमति की इस अपेक्षा से छूट प्रदान कर सकता है।

(ख) देश से बाहर कम्पनी (कम्पनियों) को भण्डारण करने वाली कम्पनी द्वारा पुनः स्थानांतरण के संबंध में, भण्डारण कम्पनी भारतीय आवेदनकर्त्ता/लाइसेंसधारी को आपूर्ति की श्रृंखला में प्रत्येक लिंक से अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र लाइसेंसिंग प्राधिकरण अर्थात् डीजीएफटी को सौंपने के प्रयोजन से अग्रेषित करेगी और ऐसे स्थानांतरण के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी।

3. **2.79 ख** **स्कोमेट के तहत कलपुर्जों के निर्यात की अनुमति**

आवेदक के अनुरोध पर स्कोमेट के तहत कलपुर्जों के निर्यात की अनुमति के संबंध में आईएमडब्ल्यूजी (अन्तरमंत्रालयी कार्य समूह) द्वारा मुख्य मद/उपस्कर हेतु आवेदन पर विचार किया जा सकता है। तदनुसार कलपुर्जों के निर्यात की अनुमति मांगने वाला आवेदक मुख्य उपस्कर हेतु आवेदन में कलपुर्जों की आवश्यकता का इसके विवेकपूर्ण और उचित आकलन करने तथा इसका औचित्य प्रदान करने के पश्चात उल्लेख कर सकता है।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

(i) 'भंडारण एवं बिक्री' के प्रयोजनों हेतु स्कोमेट निर्यात अनुमति के प्रावधान से थोक निर्यात की सुविधा प्राप्त होगी जिसे 'भंडारण बिन्दू' से विभिन्न अंतिम उपयोगकर्ताओं के आदेशों हेतु उपयोग किया जा सकता है बशर्ते निर्दिष्ट अंतिम उपयोगकर्ता को पुनः हस्तांतरित करने हेतु लाइसेंस प्राधिकारी की अनुवर्ती अनुमति प्राप्त हो।

(ii) मुख्य उपस्कर सहित कलपुर्जों के निर्यात हेतु अनुमति प्रदान करने की सुविधा से कलपुर्जों हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) दोनों उपायों से सौदा अवधि और लागत में कमी आएगी।

अनूप वधावन, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd February, 2016

No. 60/2015-20

Subject:- SCOMET Export permission for 'Stock & Sale' purposes and for export of spare parts.

No. 01/91/162/40/AM 12/EC(S)/1469.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Director General of Foreign Trade, hereby, incorporates para 2.79A and para 2.79B in Handbook of Procedure 2015-2020 as under:

2. **2.79A. Export permission for "Stock and Sale"**

Applications for grant of authorization for export of SCOMET items shall be evaluated/considered by IMWG for 'stock & sale' purpose subject to the following conditions:

i. Export shall be permitted only from the principal company/the wholly owned subsidiary in India to their subsidiaries/principal company/warehouse abroad on the basis of an EUC from the latter for 'stock & sale' purposes, when considered appropriate from the point of view of security and other critical consideration.

ii. (a) For any further transfer of these items by the 'stock & sale' entity (to whom the items are originally exported by Indian principal/wholly owned subsidiary) to entity (ies), including end users, in the same country, the former shall obtain the EUC from each link in the supply chain and forward the same to the Indian applicant/licensee for the purpose of submission to licensing authority, i.e. DGFT for seeking prior permission for such transfer. The IMWG may, however, relax this requirement of prior permission based on a **Risk Assessment** for such within same country sale/transfer.

(b) In case of retransfer by the stockist entity to entity (ies) outside its country, the stockist entity shall forward to the Indian applicant/licensee the EUCs from all links in chain of supply for the purpose of submission to licensing authority i.e. DGFT for seeking prior permission for such transfer.

3. **2.79B <u>Export permission for Spare Parts for SCOMET</u>**

At the request of the applicant, export permission for spare parts covered under SCOMET may be considered by IMWG along with the application for the main item/equipment. Accordingly, the applicant seeking permission for export of spares may indicate the requirement of spares in the application for main equipment after judicious and reasonable assessment thereof, and provide the justification for the same.

4. Effect of this Public Notice:

i. The provision of SCOMET export permission for 'stock & sale' purposes will facilitate bulk export which may cater to orders of multiple end users from the 'stock point' subject to subsequent permission of the licensing authority for re-transfer to definite end user.

ii. The facility for permission for export of spare parts along with the main equipment will obviate the need for seeking permission for spares through a separate application.

iii. Both the measures will have the effect of reducing the transaction time and cost.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.